AA

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **शिवांगी स्वर्णकार,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या / 15 / 2019 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 28.01.2019

श्रीमती सोहनी बाई पत्नि श्री रामसुख भील निवासी उदपुरिया, पंचायत राजपुरा,, तहसील रावतभाटा

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

दिनांक 19.02.2019

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीया द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 11.09.2018 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थीया को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 15 / 2019 / (19.02) / 63 दिनांक 28.01.2019 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 19.02.2019 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थीया को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 19.02.2019 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थीया नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 15 / 2019 (सू.अ.)
श्रीमति सोहनी बाई पत्नि रामसुख भील निवासी उदपुरिया, तहसील रावतभाटा बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अति. कलक्टर (प्रशासन) चित्तौडगढ

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्रांक / एडीएम / पीए / लोसूअ / 2019 / 41 दिनांक 14.02.2019 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार है:–

1. यह है कि प्रार्थीया श्रीमती सोहनी बाई पत्नि श्री रामसुख भील निवासी उदपुरिया, पंचायत राजपुरा, तहसील रावतभाटा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 03.12.2018 का प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय में दिनांक 12.12.2018 को प्राप्त होना सही है।
2. यह है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही जा रही सूचना का संबंध राजस्व अनुभाग, जिला कार्यालय, चित्तौड़गढ़ से होने से इस कार्यालय के पत्रांक / एडीएम / पीए / 2018 / 1974 दिनांक 24.09.2018 से प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, जिला कार्यालय, चित्तौड़गढ़ को भिजवाया गया है। (छायाप्रति संलग्न है।)
3. यह कि प्रार्थीया प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, जिला कार्यालय, चित्तौड़गढ़ से वांछित सूचना लिया जाना प्रस्तावित है जो शीघ्र ही प्राप्त कर प्रार्थीया को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवा दी जायेगी।
4. यह है कि प्रार्थीया को सूचना के संबंध में जानकारी उपलब्ध करा दी जाने से अब कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती है अतः प्रस्तुत अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक / एडीएम / पीए / लोसूअ / 2019 / 41 दिनांक 14.02.2019 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नक का अवलोकन कर उस पर मनन किया। आवेदक द्वारा वांछित सूचनायें उसे आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक से 30 दिवस की निर्धारित अवधि के भीतर नियमानुसार प्रतिलिपि शुल्क प्राप्त कर उपलब्ध करवायी जाने का प्रावधान है। इसके लिये आवेदक द्वारा सूचना प्राप्ति

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 15 / 2019 (सू.अ.)
श्रीमति सोहनी बाई पत्नि रामसुख भील निवासी उदपुरिया, तहसील रावतभाटा बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अति. कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

हेतु प्रस्तुत आवेदन, संबंधित अधिकारी तक पहुंचाकर सूचना प्राप्त कर, आवेदक को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित लोक सूचना अधिकारी की बनती है। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ अपीलार्थीया द्वारा वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, जिला कार्यालय, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त कर अपीलार्थीया को उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं। अतः अपील अपीलार्थीया स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते हैं की वह प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, से सूचना प्राप्त कर अपीलार्थीया को 15 दिवस में निः शुल्क उपलब्ध करावें।

अपीलीय प्राधिकारी, जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

(शिवांगी स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र./सरिश्ता/प्र.सं./15/2019(सू.अ.)/115 दिनांकः– 15/02/2019

प्रतिलिपिः–

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्रीमती सोहनी बाई पत्नि श्री रामसुख भील निवासी उदपुरिया, पंचायत राजपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)